


F.No. A-20017/6/2018-Ad.1B (Pers.)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
North Block, New Delhi-110001

NOTICE

Dated the 06th October, 2022

Disciplinary proceedings under Rule 14 of CCS(CCA) Rules, 1965 have been initiated against Shri Anuj Garg, Junior Secretariat Assistant of the Department of Revenue vide Memo No. F.No. A-20017/6/2018-Ad.1B (Pers.) dated 24.08.2022, for his unauthorized absence from duty. Presently, he is unauthorized absent from duty w.e.f. 08.02.2019. By the said act, Shri Anuj Garg, JSA has shown lack of devotion to duty and acted in a manner which is unbecoming of a Government Servant and thus is in violation of Rule 3 (1) (ii) and 3 (1) (iii) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964. The chargesheet was sent to him at his known address i.e. V-1784, Street No.5, Vijay Park, Maujpur, Delhi-110053. However, the chargesheet has been returned in original by the postal authorities with remarks as "Left Address". Therefore, Shri Anuj Garg, JSA is directed to intimate his present address to this office immediately and appear in person before the undersigned within 10 days from the date of publication of this notice and join his duties as well as collect a copy of the said chargesheet for defending his case failing which action will be taken against him ex-parte.


(Yogesh Sharma)

Under Secretary to the Government of India

फा.सं. ए-20017/6/2018-प्रशा.।बी (वैयक्तिक)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

सूचना

दिनांक: 06 अक्टूबर, 2022

राजस्व विभाग के कनिष्ठ सचिवालय सहायक श्री अनुज गर्ग के विरुद्ध ज्ञापन फा.सं. ए-20017/6/2018-प्रशा.।बी (वैयक्तिक) दिनांक 24.08.2022 के द्वारा सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत ड्यूटी से उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। वर्तमान में, वह दिनांक 08.02.2019 से ड्यूटी से अनाधिकृत अनुपस्थित है। उक्त कृत्य के द्वारा, श्री अनुज गर्ग ने ड्यूटी के प्रति निष्ठा में कमी को दर्शाया है और इस तरह से कार्य किया है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है एवं इस प्रकार यह केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1)(ii) और नियम 3(1)(iii) का उल्लंघन है। आरोप पत्र उन्हें उनके ज्ञात पते अर्थात् वी-1984, स्ट्रीट नंबर.5, विजय पार्क, मौजपुर, दिल्ली-110053 पर भेजा गया था। हालांकि आरोप पत्र को मूल रूप में डाक प्राधिकारियों द्वारा "छोड़ दिए गए पते" के रूप में टिप्पणी करके वापस कर दिया गया है। अतः श्री अनुज गर्ग कनिष्ठ सचिवालय सहायक को निदेश दिया जाता है कि वे तत्काल इस कार्यालय को अपने वर्तमान पते की सूचना दें एवं इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हों और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें तथा अपने मामले का बचाव करने के लिए उक्त आरोप पत्र की एक प्रति प्राप्त करें। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाही की जाएगी।

योगेश शर्मा

(योगेश शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार